प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

10.04.2026 / प्रादेशिक समाचार / 18:00बजे

हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा सदस्यता से अयोग्य करार दिए गए सभी विधायकों को एक महीने के भीतर पैंशन और एरियर जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। अदालत ने याचिका का निपटारा भी कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा विधानसभा सचिव को दिए गए निदेर्शों में अयोग्य करार दिए गए सभी विधायकों को एक महीने के भीतर एरियर सहित पैंशन और अन्य देय राशि जारी करने को कहा गया है। आदेशों में ये भी कहा गया है कि यदि इन पूर्व विधायकों को निर्धारित समय अवधि के भीतर पैंशन और एरियर जारी नहीं किया जाता है तो विधानसभा सचिव उन्हें संबंधित राशि 6 प्रतिशत ब्याज की दर से देने के लिए जिम्मेवार होंगे।

भाजपा

इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए विधायकों की पैंशन समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा विधानसभा में लाए गए कानून को हाईकोर्ट द्वारा रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। जयराम ठाकुर ने कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले से सरकार की फजीहत हुई है और विधानसभा की गरिमा को भी ठेस पहुंची है।

राज्यपाल

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आध्यात्मिक संस्थाओं की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाएं तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों के बीच भारत की सभ्यता की संस्कृति को बनाए रखने में मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही हैं। राज्यपाल आज नई दिल्ली में धर्म संघ महाविद्यालय के दौरे के दौरान छात्रों को संबांधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं से अनुशासन, दया और सेवा की भावना अपनाने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि सच्ची शिक्षा ज्ञान, चरित्र और सांस्कृतिक जागरूकता के मेल में है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को गौ सेवा कार्य में बढ़चढ़ कर भाग लेने की भी अपील की और कहा कि भारतीय पंरपरा में गौ सेवा महत्वपूर्ण कार्य है।

हर्षवर्धन

इधर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार अदालत के फैसले का अध्ययन करेगी और इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। हर्षवर्धन चौहान ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने दल–बदल और क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए ही पैंशन से जुड़ा नया कानून लाया है। उन्होंने कहा कि ये कानून किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग जैसी घटना प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई।

चन्द्र कुमार

कृषि व पशुपालन मंत्री चन्द्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य आम जनता को उनके घर–द्वार पर ही सुविधाएं उपलब्ध करवाना और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना है। चन्द्र कुमार आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूरियां में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत जनसमस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि नगरोटा सूरियां में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर करोड़ों रूपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 2 सौ 13 करोड़ रूपए से अधिक की सुखाहार मध्यम सिंचाई योजना तैयार की जा रही है। इससे 2 हजार एक सौ 86 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा हासिल होगी।

विक्रमादित्य

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि जनसमस्याओं का घर–द्वार पर निपटान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की दूरदराज पंचायत निहरी में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने राजस्व लोक अदालतों सहित कई नई पहल शुरू की हैं। इससे लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार दूरदराज क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने को प्राथमिकता दे रही है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में 9 पंचायतों की एक सौ 81 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया।

कमलेश ठाकुर

विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए कई बड़े निर्णय लिए हैं और सराहनीय योजनाएं आरम्भ की हैं। नादौन विधानसभा क्षेत्र के सेरा विश्राम गृह में जनसमस्याएं सुनने के मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस विधानसभा क्षेत्र. की जनता की समस्याओं और जरूरतों से भली–भांति परिचित हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और बूथ प्रभारियों से आग्रह किया कि वे क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति की समस्या को तुरंत मुख्यमंत्री तक पहुंचाए ताकि प्रभावितों को तत्काल मदद मिल सके।

————————————————